कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
संख्या पी-1103/36-बी-15(जी)/(2016-17) लखनऊःदिनांकः मार्च 29,2017.

सेवा में,

1. मुख्य वन संरक्षक,
वन्यजीव पश्चिमी कानपुर, गोरखपुर मण्डल,
लखनऊ मण्डल।

2. वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
आगरा, अलीगढ, मुरादाबाद, आजमगढ,
इलाहाबाद, फैजाबाद, देवीपाटन तथा चित्रकूटधाम बांदा, उत्तर प्रदेश।

विषयः- अनुदान संख्या-60 के आयोजनागत-जिला सेक्टर के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि का योजनावार, जनपदवार, प्रभागवार एवं लेखा शीर्षकानुसार आवंटन।

सन्दर्भः-शासनादेश संख्या-423/चौदह-4-2017-32/2016 दिनांक 29-3-2017.

महोदय,

अनुदान संख्या-60 के आयोजनागत-जिला सेक्टर के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष शासनादेश संख्या-923/14-4-2016-32/2016 दिनांक 27-04-2016, शासनादेश संख्या-1088/14-4-2016-32/2016 दिनांक 25-05-2016, शासनादेश संख्या-1313/14-4-2016-32/2016, दिनांक 31-05-2016, शासनादेश संख्या-1573/14-4-2016-32/2016 दिनांक 08-07-2016, शासनादेश संख्या-1950/14-4-2016-32/2016 दिनांक 30-08-2016 तथा शासनादेश संख्या-2681/14-4-2016-32/2016 दिनांक 20-12-2016 से स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश से शासन द्वारा सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत जनपदवार प्रभागवार एवं लेखा शीर्षकानुसार रू0 26692 हजार की स्वीकृति जारी की गयी है। उक्त सन्दर्भित शासनादेश की आपकी प्रति तथा आपके वृत्त से सम्बन्धित प्रभागों तथा सम्बन्धित जिलाधिकारी, अर्थ एवं संख्याधिकारी की प्रतियां संलग्न कर प्रेषित है। कृपया अपने स्तर से उक्त सन्दर्भित शासनादेश की प्रति सम्बन्धित प्रभागों तथा सम्बन्धित जिलाधिकारी, अर्थ एवं संख्याधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

योजना में कराये जाने वाले कार्यों को समय से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। जारी स्वीकृति की सी0सी0एल0 जारी कराने हेतु प्रस्ताव सीधे वित्त नियंत्रक, कार्यालय-प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भेजकर सी0सी0एल0 जारी कराना सुनिश्चित करें। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष भौतिक/वित्तीय लक्ष्य संलग्नक-2 में संलग्न है। कृपया निर्धारित भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(ए0के0 द्विवेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
योजना एवं कृषि वानिकी
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या पी-1103 (I)/36-बी-15(जी)/(2016-17), दिनांकित।

प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वन एवं वन्य जीव विभाग, लखनऊ को उपरोक्त संदर्भित शासनादेश के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(ए0के0 द्विवेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
योजना एवं कृषि वानिकी
उ0प्र0, लखनऊ।

Budget Doc Copy To Cfs-14-15 (sep.Tsp)

संख्या पी-1103 (2)/36-बी-15(जी)/(2016-17), दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(ए0के0 द्विवेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
योजना एवं कृषि वानिकी
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या पी-1103 (3)/36-बी-15(जी)/(2016-17), दिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड, रूहेलखण्ड, केन्द्रीय, पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जन्तु, उत्तर प्रदेश को सन्दर्भित शासनादेश की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार।

(ए0के0 द्विवेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
योजना एवं कृषि वानिकी
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या पी-1103 (4)/36-बी-15(जी)/(2016-17), दिनांकित।

प्रतिलिपि वित्त नियंत्रक, कार्यालय-प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को संदर्भित शासनादेश की प्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि उक्त संलग्नक में इंगित जनपदवार प्रभागवार, आहरण एवं वितरण अधिकारीवार धनराशि की साख-सीमा अपने स्तर से सम्बन्धित निस्तारण अधिकारी को निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार।

(ए0के0 द्विवेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
योजना एवं कृषि वानिकी
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या पी-1103 (5)/36-बी-15(जी)/(2016-17), दिनांकित।

प्रतिलिपि अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0 सेल, उ0प्र0 लखनऊ को संलग्नक सहित विभाग की वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार।

(ए0के0 द्विवेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
योजना एवं कृषि वानिकी
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या पी-1103 (6)/36-बी-15(जी)/(2016-17), दिनांकित।

प्रतिलिपि समस्त सम्बन्धि प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(ए0के0 द्विवेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
योजना एवं कृषि वानिकी
उ0प्र0, लखनऊ।

29/3/17

संख्या- 423/चौदह-4-2017-32/2016

प्रेषक,

मो0 जुनैद,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उप वन संरक्षक/प्रभागीय निदेशक,

फिरोजाबाद, हाथरस, नजीबाबाद, काशी वन्य जीव,

देवरिया, प्रतापगढ़, मऊ, सीतापुर, अम्बेडकर नगर,

अमेठी, बाराबंकी, श्रावस्ती तथा हमीरपुर,

उत्तर प्रदेश।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग- 4 लखनऊ, दिनांक, 29 मार्च, 2017

विषय- अनुदान संख्या-60 के आयोजनागत-जिला सेक्टर के अन्तर्गत चालू वितीय वर्ष 2016-2017 में आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि का योजनावार, जनपदवार, प्रभागवार एवं लेखा शीर्षकानुसार आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 के क्रम में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या पी-979/36-बी-15(जी)/बजट (2016-17), दिनांक 08-03-2017 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वर्ष 2016-17 के लिए अनुदान संख्या-60 के आयोजनागत-जिला सेक्टर की सामाजिक वानिकी योजना हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित कुल धनराशि रू0 2514082000/- के सापेक्ष शासनादेश संख्या-923/14-4-2016-32/2016, दिनांक 27-4-2016 से स्वीकृति धनराशि रू0 1071621000/- तथा शासनादेश संख्या-1088/14-4-2016-32)/2016, दिनांक 25-05-2016 से स्वीकृति धनराशि रू0 243342000/- एवं शासनादेश संख्या-1313/14-4-2016-32)/2016, दिनांक 31-05-2016 से स्वीकृति धनराशि रू0 142761000/- व शासनादेश संख्या-1573/14-4-2016-32)/2016, दिनांक 08-07-2016 से स्वीकृति धनराशि रू0 33418000/- व शासनादेश संख्या-1950/14-4-2016-32/2016, दिनांक 30-08-2016 से स्वीकृत धनराशि रू0 181210000/- तथा शासनादेश संख्या-2681/14-4-2016-32/2016, दिनांक 20-12-2017 से स्वीकृत धनराशि रू0 606164000/- के अतिरिक्त रू0 26692000/-(रू0 दो करोड छाछठ लाख बानब्बे हजार मात्र) की धनराशि संलग्नक में दिये गये विवरण/फांट के अनुसार वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22-03-2016 में निहित निदेशों के अधीन आपके निर्वतन पर निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधो के अधीन रखे जाने की निम्न प्रकार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- आयोजनागत जिला सेक्टर योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 201617 हेतु नियोजन विभाग के अर्धशासकीय पत्र सं0-9/1/35-आ-2/2015-12, दिनांक 29.11.2016 से योजनावार/जनपदवार परिव्यय का अनुमेदन किया गया है। वर्ष 2016-17 हेतु सामाजिक वानिकी जिलायोजना के अनुमोदित परिव्यय की सीमा में उक्त स्वीकृतियां जारी की जारी हैं।

3- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। अतः जिस व्यय के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों अथवा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा शासन के वर्तमान आदेशानुसार शासन की अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति लिया जाना अपेक्षित है, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यतः प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज वित्तीय नियमों के अधीन ही किया जाय। भवनों के निर्माण कार्य के संबंध में नवीनतम निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित नियमों के अनुसार कार्यवाही सम्पादित कराई जाय। व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सी0ए0-1132/दस-2004-1/2004, दिनांक 07-01-2005 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 8 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5-. स्वीकृत धनराशि के विरूद्ध उक्त योजनाओं के अन्तर्गत जनपदवार/प्रभागवार/योजनावार भौतिक लक्ष्य तथा समय सारणी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्धारित किये जायेंगे। उनके द्वारा आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति निर्धारित समय-सारणी के अनुसार सुनिश्चित की जाय।

6- उक्त जिला योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के नियमानुसार समुचित उपयोग हेतु संबंधित मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक स्वयं उत्तरदायी होंगे एवं कराए जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता तथा नियमानुसार निशपादन हेतु उनकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

7- आवंटित धनराशि को यदि किसी ऐसे मद पर जिसके लिए वित्तीय हस्त-पुस्तिका एवं बजट मैनुएल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो, बिना स्वीकृति प्राप्त किये व्यय कदापि न किया जाय।

8- अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय न किया जाए और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाए।

9- आवंटित धनराशि के सभी बिलों चाहे वे वेतन आदि से संबंधित हों अथवा आकस्मिक व्यय के संबंध में, पर अनुदान संख्या-60 सहित सही एवं सम्पूर्ण मुख्य, उप मुख्य, लघु, उप लघु, विस्तृत शीर्षक एवं मानक मदों को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल के दाहिने ओर लाल स्याही में "आयोजनागत" शब्द अवश्य लिखा जाए, ताकि महालेखाकार उत्तर प्रदेश को सही आकड़े के पुस्तांकन में कठिनाई न हो।

10- कृपया व्यक्तिगत रूप से यह भी सुनिश्चित करें कि इन आवंटन से आपसे सम्बन्धित प्रभाग से आहरित की गयी धनराशि की प्रगति तथा भौतिक उपलब्धियों का विवरण निर्धारित प्रपत्र तथा बी0एम0-13 प्रपत्र में संकलित कर प्रत्येक माह की पॉच तारीख तक मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक /वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, संबंधित जोनल मुख्य वन संरक्षक तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराय दिया जाये।

11- धनराशि के आवंटन की इस प्रक्रिया को अपनाने से विभागाध्यक्ष/वन संरक्षकों के निर्धारित उत्तरदायित्व पूर्ववत बने रहेंगें। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा आवंटित भौतिक व वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति तथा कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक उत्तरदायित्व होगें। अत: यह आवश्यक है कि समस्त जिला स्तरीय योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों की प्रगति की अनुश्रवण प्रत्येक माह करते रहें तथा प्रगति से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अवगत कराना सुनिश्चित करें, जो प्रत्येक स्तर की संकलित सूचना शासन को उपलब्ध करायेंगें। वन संरक्षक/मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक, तथा जोनल मुख्य वन संरक्षक, यह सुनिश्चित करेगें कि आवंटित धनराशि व्यय में काई द्विरावृत्ति न हो।

12- उपरोक्त के अतिरिक्त शासन के नियोजन तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मार्ग निर्देशों को कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

13- जिला योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यो में क्षेत्रवार निश्चित योजना (लोकेशन स्पेसिफिक एक्शन प्लान) की प्रतियां जिला समन्वय निस्तारण अधिकारी द्वारा जनप्रतिनिधियों, आयुक्त जिला अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। यह सूचना क्षेत्र व ग्राम स्तर पर भी अवश्य उपलब्ध करायी जाय, ताकि वन एवं वन्य जीव विभाग के कार्य कलापों की जानकारी जन साधारण में रहें व कार्यो की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता बनी रहें।

14- व्यय को विभागीय मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम तथा अनुश्रवण समय सारणी भी प्रभागीय स्तर से लेकर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के स्तर तक सुनिश्चित कर ली जाय।

15- पंचायती राज संस्थाओं को शक्तिशाली बनाने हेतु अधिकारों, दायित्वों एवं कार्यक्रमों के

विकेन्द्रीकरण हेतु उत्तर प्रदेश शासन के परती भूमि विकास अनुभाग के शासनादेश संख्या-406/14-प0भू0वि0/99-3/99, दिनाँक 19-03-1999 के द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुए संबंधित योजनाओं को कार्यान्वित किया जाए।

3- यह आदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22-03-2016 में प्रतिनिहित अधिकारों तथा निर्देशों के अनुपालन में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

(मो० जुनीद)

संयुक्त सचिव।

संख्या- 423(1)/14-4-2016-32/2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को मय संलग्नक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद तथा केन्द्रीय भवन दसवां तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष , उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8. मुख्य वन संरक्षक, पूर्वी, दक्षिणी, केन्द्रीय, बुन्देलखण्ड, रूहेलखण्ड, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश तथा मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव, पश्चिमी, वन्यजीव, पूर्वी, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति तथा कार्यों की गुणवत्ता अपने स्तर से सुनिश्चित करायें।
9. समस्त वन संरक्षक/समस्त क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर प्रदेश।
10. वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त संलग्नकों में इगिंत जनपदवार प्रभागवार, आहरण एवं वितरण अधिकारीवार संशोधित धनराशि की साख-सीमा अपने स्तर से सम्बन्धित निस्तारण अधिकारियों को निर्गत करने का कष्ट करें।

11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

12. समस्त जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

13 नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/2 (नियोजन विभाग).

14. वित्त (व्यय-नियंत्रण, अनुभाग-7)/वित्त आय-व्ययक (अनुभाग-1).

15. वन अनुभाग-1, 2, 3 तथा 5.

16. निदेशक, सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।

17. अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

<u>संलग्नक-यथोपरि।</u>

आज्ञा से

/

(मो0 जुनीद)

संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या 423/14-4-2017-32/2016 दिनांक 21-3-2017 का संलग्नक

संलग्नक-1

योजना-सामाजिक वानिकी योजना (जिला योजना)

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 के व्यय हेतु अतिरिक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन

अनुदान संख्या-60 के पूँजी लेखा के लेखाशीर्षक-4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-वानिकी-102-समाज तथा फार्म वानिकी- 03-सामाजिक वानिकी (सा0वा0प0स0)(जिला योजना)- 24-वृहत् निर्माण कार्य

(रु0 हजार में)

| क्र0सं0 | मण्डल/जनपद/प्रभाग का नाम | | परिव्यय | पूर्व में स्वीकृत धनराशि | अतिरिक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि | कुल स्वीकृत धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | जनपद का नाम | प्रभाग का नाम | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | आगरा | आगरा | 86873 | 25641 | | 25641 |
| | | चम्बल पशु विहार | | 117 | | 117 |
| 2 | मैनपुरी | मैनपुरी | 2041 | 2041 | | 2041 |
| 3 | मथुरा | मथुरा | 26450 | 15860 | | 15860 |
| 4 | फिरोजाबाद | फिरोजाबाद | 98690 | 31777 | 2460 | 34237 |
| | योग आगरा मण्डल | | **214054** | **75436** | **2460** | **77896** |
| 5 | अलीगढ़ | अलीगढ़ | 23944 | 17046 | | 17046 |
| 6 | हाथरस | हाथरस | 29178 | 16543 | 268 | 16811 |
| 7 | एटा | एटा | 14582 | 12734 | | 12734 |
| 8 | कासगंज | कासगंज | 20875 | 12731 | | 12731 |
| | योग अलीगढ़ मण्डल | | **88579** | **59054** | **268** | **59322** |
| 9 | बरेली | बरेली | 29425 | 16800 | | 16800 |
| 10 | बदायूं | बदायूं | 29940 | 21428 | | 21428 |
| 11 | पीलीभीत सा0वा0 | पीलीभीत सा0वा0 | 9259 | 4671 | | 4671 |
| | | पीलीभीत टा0रि0 | | 4588 | | 4588 |
| 12 | शाहजहांपुर | शाहजहांपुर | 57725 | 45951 | | 45951 |
| | योग बरेली मण्डल | | **126349** | **93438** | 0 | 93438 |
| 13 | मेरठ | मेरठ | 14048 | 9374 | | 9374 |
| 14 | बागपत | बागपत | 9119 | 5824 | | 5824 |
| 15 | गाजियाबाद | गाजियाबाद | 3075 | 3075 | | 3075 |
| 16 | हापुड़ | हापुड़ | 12125 | 12125 | | 12125 |
| 17 | गौतमबुद्ध नगर | गौतमबुद्ध नगर | 4736 | 4736 | | 4736 |
| 18 | बुलन्दशहर | बुलन्दशहर | 12600 | 12600 | | 12600 |
| | योग मेरठ मण्डल | | **55703** | **47734** | 0 | **47734** |
| 19 | सहारनपुर | सहारनपुर | 5965 | 809 | | 809 |
| | | शिवालिक | | 5156 | | 5156 |
| 20 | मुजफ्फरनगर | मुजफ्फरनगर | 7042 | 7042 | | 7042 |
| 21 | शामली | शामली | 5997 | 5997 | | 5997 |
| | योग सहारनपुर मण्डल | | **19004** | **19004** | 0 | **19004** |
| 22 | मुरादाबाद | मुरादाबाद | 6802 | 4130 | | 4130 |
| 23 | सम्भल | सम्भल | 6350 | 6350 | | 6350 |
| 24 | अमरोहा | अमरोहा | 26453 | 26453 | | 26453 |
| 25 | रामपुर | रामपुर | 9376 | 6332 | | 6332 |

| क्रमांक | जनपद / प्रभाग का नाम | | परिव्यय | पूर्व में स्वीकृत धनराशि | अतिरिक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि | कुल स्वीकृत धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | जनपद का नाम | प्रभाग का नाम | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26 | बिजनौर | बिजनौर | 64339 | 15825 | | 15825 |
| | | नजीबाबाद | | 26497 | 2311 | 28808 |
| | **योग मुरादाबाद मण्डल** | | **113320** | **85587** | **2311** | **87898** |
| 27 | वाराणसी | वाराणसी | 3352 | 3352 | | 3352 |
| 28 | चंदौली | काशी वन्य जीव | 90564 | 65014 | 3910 | 68924 |
| 29 | गाजीपुर | गाजीपुर | 28509 | 11712 | | 11712 |
| 30 | जौनपुर | जौनपुर | 54986 | 31884 | | 31884 |
| | **योग वाराणसी मण्डल** | | **177411** | **111962** | **3910** | **115872** |
| 31 | संतरविदास नगर भ | संतरविदास नगर भव | 8354 | 6676 | | 6676 |
| 32 | मिर्जापुर | मिर्जापुर | 30877 | 27758 | | 27758 |
| | | कैमूर वन्यजीव | | 3119 | | 3119 |
| 33 | सोनभद्र | सोनभद्र | 148538 | 48631 | | 48631 |
| | | कैमूर वन्यजीव | | 2469 | | 2469 |
| | | रेनुकूट | | 51043 | | 51043 |
| | | ओबरा | | 46395 | | 46395 |
| | **योग विन्ध्याचल मण्डल** | | **187769** | **186091** | **0** | **186091** |
| 34 | गोरखपुर | गोरखपुर | 96408 | 23020 | | 23020 |
| 35 | महराजगंज | सोहागीबरवा वन्यजीव | 32162 | 16764 | | 16764 |
| | | गोरखपुर | | 7992 | | 7992 |
| 36 | देवरिया | देवरिया | 17100 | 15124 | 1967 | 17091 |
| 37 | पडरौना(कुशीनगर) | पडरौना(कुशीनगर) | 45438 | 17925 | | 17925 |
| | **योग गोरखपुर मण्डल** | | **191108** | **80825** | **1967** | **82792** |
| 38 | बस्ती | बस्ती | 87644 | 42147 | | 42147 |
| 39 | संतकवीर नगर | संतकवीर नगर | 132051 | 38702 | | 38702 |
| 40 | सिद्धार्थनगर | सिद्धार्थनगर | 34359 | 30522 | | 30522 |
| | **योग बस्ती मण्डल** | | **254054** | **111371** | **0** | **111371** |
| 41 | आजमगढ़ | आजमगढ. | 8689 | 8689 | | 8689 |
| 42 | मऊ | मऊ | 25249 | 12496 | 650 | 13146 |
| 43 | बलिया | बलिया | 34347 | 23122 | | 23122 |
| | **योग आजमगढ़ मण्डल** | | **68285** | **44307** | **650** | **44957** |
| 44 | इलाहाबाद | इलाहाबाद | 57022 | 48780 | | 48780 |
| 45 | कौशाम्बी | कौशाम्बी | 12884 | 12884 | | 12884 |
| 46 | फतेहपुर | फतेहपुर | 5626 | 5626 | | 5626 |
| 47 | प्रतापगढ. | प्रतापगढ. | 19765 | 11462 | 670 | 12132 |
| | **योग इलाहाबाद मण्डल** | | **95297** | **78752** | **670** | **79422** |
| 48 | लखनऊ | लखनऊ | 31143 | 31143 | | 31143 |
| 49 | रायबरेली | रायबरेली | 50000 | 50000 | | 50000 |
| 50 | हरदोई | हरदोई | 38956 | 27232 | | 27232 |
| 51 | उन्नाव | उन्नाव | 55616 | 32151 | | 32151 |
| 52 | सीतापुर | सीतापुर | 54742 | 46468 | 803 | 47271 |
| 53 | खीरी | उत्तरी खीरी | 48356 | 23155 | | 23155 |
| | | दक्षिणी खीरी | | 25201 | | 25201 |
| | **योग लखनऊ मण्डल** | | **278813** | **235350** | **803** | **236153** |

| क्र0 | मण्डल / जनपद / प्रभाग का नाम | | परिव्यय | पूर्व में स्वीकृत धनराशि | अतिरिक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि | कुल स्वीकृत धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | जनपद का नाम | प्रभाग का नाम | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 54 | फैजाबाद | फैजाबाद | 60000 | 47367 | | 47367 |
| 55 | अम्बेडकर नगर | अम्बेडकर नगर | 57328 | 46586 | 1652 | 48233 |
| 56 | सुल्तानपुर | सुल्तानपुर | 94410 | 54136 | | 54136 |
| 57 | अमेठी | अमेठी | 75000 | 55282 | 2752 | 58034 |
| 58 | बाराबंकी | बाराबंकी | 74365 | 48081 | 3962 | 52043 |
| | **योग फैजाबाद मण्डल** | | **361103** | **251452** | **8366** | **259818** |
| 59 | गोन्डा | गोन्डा | 50338 | 31266 | | 31266 |
| 60 | बलरामपुर | सोहेलवा वन्य जीव | 34451 | 10267 | | 10267 |
| | | गोन्डा | | 9981 | | 9981 |
| 61 | श्रावस्ती | श्रावस्ती | 122339 | 56454 | 3647 | 60101 |
| 62 | बहराइच | बहराइच | 41881 | 35187 | | 35187 |
| | | कतरनियांघाट वन्य जीव | | 317 | | 317 |
| | **योग देवीपाटन मण्डल** | | **249009** | **143472** | **3647** | **147119** |
| 63 | कानपुर नगर | कानपुर | 45432 | 30998 | | 30998 |
| 64 | कानपुर देहात | कानपुर देहात | 106887 | 45839 | | 45839 |
| 65 | फर्रुखाबाद | फर्रुखाबाद | 26100 | 26100 | | 26100 |
| 66 | कन्नौज | कन्नौज | 8697 | 8697 | | 8697 |
| 67 | औरैया | औरैया | 8733 | 8733 | | 8733 |
| 68 | इटावा | इटावा | 7200 | 5811 | | 5811 |
| | **योग कानपुर मण्डल** | | **203049** | **126178** | **0** | **126178** |
| 69 | झांसी | झांसी | 40379 | 40379 | | 40379 |
| 70 | ललितपुर | ललितपुर | 68257 | 68257 | | 68257 |
| 71 | जालौन | जालौन | 152568 | 83202 | | 83202 |
| | **योग झांसी मण्डल** | | **261204** | **191838** | **0** | **191838** |
| 72 | हमीरपुर | हमीरपुर | 147505 | 110276 | 1640 | 111916 |
| 73 | महोबा | महोबा | 123413 | 76773 | | 76773 |
| 74 | बांदा | बांदा | 64516 | 64516 | | 64516 |
| 75 | चित्रकूट | चित्रकूट | 94337 | 79230 | | 79230 |
| | | कैमूर वन्यजीव प्रभाग | | 5870 | | 5870 |
| | **योग चित्रकूट धाम मण्डल** | | **429771** | **336665** | **1640** | **338305** |
| | **कुल योग** | | **3373882** | **2278516** | **26692** | **2305208** |

(रू0 दो करोड़.छाछठ लाख बानब्बे हजार मात्र)

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव

संलग्नक–2

चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में सामाजिक वानिकी जिला योजना (सामान्य) के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–423/14–4–2017–32/2016 दिनांक 29.3.2017 से स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष भौतिक/ वित्तीय लक्ष्य

| क0 सं0 | जनपद/प्रभाग का नाम | भूमि का प्रकार | अग्रिम मृदा कार्य (है0) | वित्तीय आवश्यकता (रू0 हजार में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | फिरोजाबाद | बीहड. | 75 | 2460 |
| 2 | हाथरस | सामान्य | 10 | 268 |
| 3 | बिजनौर | | | |
| | नजीबाबाद | सामान्य | 40 | 2311 |
| 4 | काशी वन्य जीव | वन भूमि | 115 | 3910 |
| 5 | देवरिया | सामन्य | 89 | 1967 |
| 6 | प्रतापगढ. | ऊसर | 10 | 410 |
| | | सामन्य | 10 | 260 |
| | योग | | 20 | 670 |
| 7 | मऊ | आई–स्पर्श हेतु | 200bg | 650 |
| 8 | सीतापुर | सामन्य | 30 | 803 |
| 9 | अम्बेडकर नगर | ऊसर | 30 | 1652 |
| 10 | अमेठी | ऊसर | 50 | 2752 |
| 11 | बाराबंकी | ऊसर | 30 | 1651 |
| | | ग्रीन बेल्ट | 40 | 2311 |
| | | योग | 70 | 3962 |
| 12 | श्रावस्ती | सामन्य | 93 | 2491 |
| | | ग्रीन बेल्ट | 20 | 1156 |
| | | योग | 113 | 3647 |
| 13 | हमीरपुर | बीहड. | 50 | 1640 |
| | **योग** | | **692** | **26692** |

(ए0के0 द्विवेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
योजना एवं कृषि वानिकी,
उ0प्र0, लखनऊ।

D:\DATAAA\RAMJI\Budget Allotment SF Normal- 16-17 fIRST